

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम भादरा

हवासिंह बनाम् हरदत आदि

केसम् मुकदमा RTAct. 212 नं० 54/01.10.2021 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
01-10-21	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली दिनांक 08.10.21 को कैम्प छानीबड़ी में पेश हो।	
08-10-21	आज पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम छानीबड़ी में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध आगामी तारीख पेशी तक इस असर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि रोही चक 7 एनटीआर के खाता सं. 63/69 के मु.न. 43 के किला न. 8 या वाद कृषि भूमि के किसी भी हिस्से को किसी अजनबी व्यक्ति को अपार्थीगण रहन, बैय व मुत्तकिल न करें तथा मौका रिकॉर्ड की यथारिथति बनायें रखे। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाफ्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बन्ध में अपार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। आगामी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। अपार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन जारी किये जा चुके हैं। जिसकी रसीदें शामिल पत्रावली है। पत्रावली दिनांक 16.12.2021 को कैम्प प्रशासन गांवो के संग अभियान नेटराना में पेश हो।	

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)



तारीख हुस्म

हुस्म या कार्यवाही का इनीशियल काम

30/4/24

पत्रावली पेश हुई। नकोच पार्सि जमिन
नदी काट-काट आवाज लगावायी गई
हुई। दामि नदी आने पर पत्रावली
आकर दामरी अदर में रवातेज
की जाती है। पत्रावली अदर से कम ही
दा रिता ही।
30/4/24